न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महवा जिला दौसा

(पीठासीन अधिकारी – सुश्री मनीषा रेशम आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 136/2021 दर्ज तिथि :– 27.07.2021

1. राजहंस पुत्र रत्तीराम
2. रामप्रसाद पुत्र रत्तीराम
3. मोहनसिंह पुत्र रत्तीराम
4. वीरसिंह पुत्र विजयसिंह
5. रामराज पुत्र विजयसिंह
6. द्रोपती बेवा विजयसिंह
7. गिरधर पुत्र धर्मे
8. सुगरसिंह पुत्र धर्मे

समस्त जाति गुर्जर निवासी खेडलाबुजुर्ग तहसील महवा जिला दौसा

.....वादीगण

बनाम

1. गोपालसिंह पुत्र घीस्या
2. भानसिंह पुत्र घीस्या
3. रेखा बेवा बलीसिंह
4. गृजेश पुत्र बलीसिंह
5. रणजीत पुत्र बलीसिंह
6. रामकुंवार पुत्र बलीसिंह
7. हंसो बेवा घीस्या
8. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा महवा जरिये प्रबन्धक
9. सरकार जरिये तहसीलदार महवा

समस्त जाति गुर्जर निवासी खेडला बुजुर्ग तहसील महवा जिला दौसा

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ता :– श्री भंवरसिंह गुर्जर
प्रतिवादी अधिवक्ता :– श्री महेन्द्र कुमार शर्मा (प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा–88,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

निर्णय तिथिः– 19.02.2025

आज यह पत्रावली वाद पत्र बाबत् घोषणा खातेदारी दुरूस्ती रिकॉर्ड व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते

उपखण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

पेश हुआ। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि विवादित आराजी खसरा नं. 191/1. 220 , 192/2.600 वाके ग्राम खेडलाबुजुर्ग तहसील महवा में स्थित है जिसको वादीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय किया है। उक्त आराजी में वादीगण संख्या 01 लगायत 03 व 04 लगायत 06 का 1/2 हिस्सा तथा वादी संख्या 7 का 3/8 हिस्सा व वादी संख्या 8 का 1/8 हिस्सा है। उक्त आराजी पर वादीगण अपने–अपने हिस्सा के अनुसार मौके पर बाहमी बंटवारा करके काबिज होकर काश्त कर रहे है। जमाबंदी 2067 से 2070 ग्राम खेडलाबुजुर्ग में बतौर खातेदार वादीगण का नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त खाता का खाता संख्या 355 (नया) व पुराना खाता संख्या 288 है लेकिन जमाबंदी संख्या 2071 से 2074 ग्राम खेडलाबुजुर्ग के खाता संख्या 419 जिसका पुराना खाता संख्या 387 है में खसरा नं. 191 व 192 में वादीगण के स्थान पर प्रतिवादी नं. 01 लगायत 07 का नाम बतौर खातेदार दर्ज हो गया। दिनांक 23.04. 2021 को वादीगण अपने घरेलू कार्य के लिये बैंक से केसीसी बनवाने हेतु पटवार हल्का खेडलाबुजुर्ग से अपनी खातेदारी की जमाबंदी चाही तो पता चला कि आराजी खसरा नं. 191 व 192 की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गयी है। वादीगण द्वारा उक्त आराजी को प्रतिवादीगण को कभी भी न तो विक्रय किया और न ही विक्रय का करार किया है। प्रतिवादीगण व वादीगण के मध्य उक्त विवादित भूमि बाबत किसी भी न्यायालय में कोई वाद भी नही चला है। पटवार हल्का ने उक्त भूमि की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम कम्प्यूटर में दर्ज करते समय सदभाविक भूल के कारण दर्ज हो गयी है। दिनांक 04.07.2021 को वादीगण गांव के कुछ व्यक्तियो को साथ लेकर प्रतिवादीगण के घर पहुंचे तथा विवादग्रस्त आराजी की खातेदारी वादीगण के नाम कराने को कहा तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह भूमि हमारी खातेदारी की है और आपके नाम खातेदारी नही करवांगे। हम लटठ के बल पर उक्त आराजी पर कब्जा लेकर रहेंगे। आप हमारा कुछ नही बिगाड सकते हो। विनाय दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 04.07.2021 को खातेदारी को दुरूस्त कराने से स्पष्ट मना करने पर ग्राम खेडलाबुजुर्ग में पैदा हुआ है। अंत में निवेदन किया कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत् घोषणा खातेदारी डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नं. 191, 192 स्थित ग्राम खेडलाबुजुर्ग वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर उनका नाम बतौर खातेदार दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण का नाम खातेदारी से हजफ किया जावे तथा स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वे वादीगण की खातेदारी आराजी में ना तो स्वयं मजाहमत, मदाखलत पैदा करें न ही किसी अन्य किसी दीगर व्यक्ति से करावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, व 5 की ओर से श्री महेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादीगण संख्या 3, 4, 6, 7 की ओर से श्री महेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता द्वारा यू0टी0 दी गयी किन्तु वकालतनामा पेश नही करने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 8 व 9 की तामील होने पर उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध

उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)

एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। वकील प्रतिवादी को जबाव दावा पेश करने के लिय पर्याप्त अवसर दिये गये किन्तु जबाव दावा पेश नही किया गया। वकील प्रतिवादी द्वारा जबाव दावा पेश नही करने पर जबाव दावा बंद किया गया। वकील वादी ने राजहंस का शपथ–पत्र व संलग्न जमाबंदी संवत् 2071–2074, जमाबंदी संवत् 2067–2070 एवं बैंक ऑफ बडौदा के दस्तावेजात वास्ते साक्ष्य पेश किया। वकील वादी द्वारा अन्य साक्ष्य कराना नही चाहते है इसलिये साक्ष्य वादी बंद की गयी। वकील प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिये पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत साक्ष्य नही करवाये जाने पर साक्ष्य बंद की गयी।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी वकील द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। वकील प्रतिवादी के उपस्थित नही होने पर वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। बाद गौर बहस व वास्ते साक्ष्य प्रस्तुत राजहंस के शपथ–पत्र के तथ्यों एवं संलग्न जमाबंदी संवत् 2067–2070 का अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि विवादित आराजी खसरा नं. 191 व 192 वाके ग्राम खेडलाबुजुर्ग की खातेदारी बिना किसी सक्षम आदेश के सहवन से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गयी है जिसे दुरूस्त किया जाना उचित समझते है। वादी अपने वाद को साबित करने में सफल रहा है। इसलिये वादी के वाद पत्र को स्वीकार करना उचित उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :–

अतः वादीगण का वाद पत्र बाबत् घोषणा खातेदारी दुरूस्ती रिकॉर्ड व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 के तहत स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। ग्राम खेडलाबुजुर्ग तहसील महवा की आराजी खसरा नं. 191 व 192 के राजस्व रिकॉर्ड में बिना किसी सक्षम आदेश के दर्ज प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर वादीगण के उनके हिस्से जमाबंदी संवत 2067–2070 के अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19.02.2025 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनीषा रेशम, आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
महवा, जिला–दौसा

उप खण्ड अधिकारी
महवा (दौसा)